न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा–पत्र

उनवान .... घनश्याम .... बनाम .... बालकिशन ....

किस्म मुकदमा .... धारा 225 .... अपील संख्या .... 2025/55 ....

अभिभाषक अपीलान्ट .... योगेन्द्र गौतम .... अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
6/3/26	पत्रावली पेश हुई । आज कोर्ट कैम्प स्थगित होने से पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27/3/26 को पेश हो । (दीप्ति रामचन्द्र मीना) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	27/3/26
27.3.26	अभिभाषक अपीलान्ट अनु./ रेस्पोडेन्ट उपस्थित बहस हेतु समय चाहा गया। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 17.4.26 को पेश हो। (दीप्ति रामचन्द्र मीना) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	अनु. 17/4/4
17.4.26	पत्रावली पेश हुई। अपीलांट एवं उनके अभिभाषक को रुक-रुक कर तीन-तीन बार आवाजें लगायी गयी, फिर भी उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली बहस हेतु नियत है, इसके लिए अभि. अपीलांट को पर्याप्त अवसर दिये जा चुके है। अत: पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। (दीप्ति रामचन्द्र मीना) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	ह. अनुपस्थित भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

न्यायालय :- भू- प्रबन्ध एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय कोटा

राजस्व अपील संख्या / 2025

घनश्याम आत्मज कन्हैयालाल आयु वर्ष जाति मीणा निवासी पाटनखेमा तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ (राज.)..अपीलार्थी

बनाम

1-बालचन्द पुत्र भागीरथ आयु वर्ष जाति भील

2-श्रीमती उषा पत्नि बालचन्द पुत्री रामकरण आयु वर्ष जाति भील निवासी थोबड़िया खुर्द तहसील बकानी जिला झालावाड़ (राज.)

3-राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय, तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ (राज.)

....अप्रार्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय /आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय झालावाड़ दिनांक 25 /07/2024 प्रार्थना पत्र संख्या 14 / 2023 धारा 212 रा.काश्त . अधिनियम बाउनवान घनश्याम बनाम बालचन्द वगेराह।

महोदय,

अपीलान्ट / प्रार्थी की और से अपील प्रस्तुत कर निम्नलिखित निवेदन है कि :-

01-यह की विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय झालावाड़ के निर्णय /आदेश दिनांक 25 /07/2024 न्याय , नियम व कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है।

02-यह की अपीलान्ट / प्रार्थी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय झालावाड़ (राज.) के द्वारा बाउनवान घनश्याम बनाम बालचन्द वगेराह अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त. अधिनियम प्रार्थना – पत्र संख्या 14/ 2023 मे पारित आदेश / निर्णय दिनांक 25.07.2024 से दुखी व व्यथित होकर माननीय न्यायालय हाजा मे अपील के साथ प्रस्तुत हुआ है।

03-यह की विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण मे तथ्य इस प्रकार है कि :-

यह की अपीलान्ट/ प्रार्थी ने रेस्पोंडेन्ट स. 1 से राजस्व ग्राम गोपालपूरा तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ (राज.) की खाता संख्या 26 खसरा संख्या 356/181 ,358/187,कुल रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि सम्पूर्ण , खाता संख्या 27 खसरा संख्या 407/181 ,409/187 कुल रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि मे रेस्पोंडेन्ट स. 1 का 1/5 हिस्सा व खाता संख्या 144 खसरा संख्या 169 कुल रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा भूमि मे हिस्सा 13/42 का बैचान दिनांक 22.10.2018 तहरीर किया। उक्त आराजी मे से खाता संख्या 26 का सम्पूर्ण हिस्सा व खाता संख्या 27 मे अपना 1/5 हिस्सा का बैचान जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 22.10.2018 को रेस्पोंडेन्ट स. 1 ने अपीलान्ट / प्रार्थी के पक्ष मे करवा दिया। किन्तु उक्त आराजी मे से खाता संख्या 144 ख. स. 169 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा भूमि मे से अपना 13/ 42 हिस्से का बैचान रेस्पोंडेन्ट स. 1 द्वारा अपीलार्थी / प्रार्थी के पक्ष मे रजिस्टर्ड बयनामा नहीं करवाया गया और टालमटोल करता रहा है तथा धोखा देने की गरज से बदनीयतिपूर्वक खाता संख्या 144 ख. स. 169 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा भूमि मे से अपना